Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

श्रीमती सोसरबाई बनाम ग्राम पंचायत औछडी जरिये सरपंच

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम, 1994**

किस्म मुकदमा **निगरानी (पंचायत)** नं0 **006** सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2025	निगरानी (पंचायत) प्रार्थना-पत्र बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता निगराकार **आरसी पालीवाल** हाजिर। हाजिर निगराकार अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत गैर-निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। हाजिर अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई बहस बाबत् एडमिशन को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निगरानी को एडमिशन किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता निगराकार द्वारा की गई बहस एडमिशन को शांत चित्त मन से चिंतन-मनन किया। हमने विधिक प्रावधानों का अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत क्षेत्राधिकारिता में स्थित ग्राम पंचायत के निर्णयों के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के अध्यधीन प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हस्तगत प्रकरण में निगराकार द्वारा निगरानी प्रार्थना-पत्र गैर-निगराकारान ग्राम पंचायत के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत औछडी से निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी कराये जाने का अनुतोष चाहा गया है, एवं इस बाबत् निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत औछडी के दस्तावेजात के रूप रसीद संख्या 26 दिनांक 21.06.2023 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त निगराकार द्वारा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि निगराकार द्वारा निगरानी मेमों की कलम संख्या 5 में अन्य दस्तावेजात का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार पत्रावली का अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्णय/आदेश पारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में हमारा ठोस अभिमत है कि उक्त निगरानी प्रथम दृष्टया की न्यायालय में पोषणीय नहीं है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है, अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेशानुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/D- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 26.05.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	